

उपायुक्त-सह जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

शांति देवी वगै०

बनाम

सुरेश दास

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :-36/2007

वाद का प्रकार :- रेभेन्यु रिवीजन (Revenu Revision)

अपीलार्थीगण द्वारा शांति देवी पति-स्व० भीम सिंह (2) बुधनी देवी पति स्व० उर्फ ननकु सिंह साकिन बड़ाईक मुहल्ला थाना वो जिला- गुमला द्वारा उप-समाहर्ता भूमि सुधार, गुमला द्वारा वाद सं० - 18/1985-86 में दिनांक - 09.12.2006 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है प्रश्नगत भूमि मौजा- गुमला के खाता संख्या-43 प्लॉट संख्या 953 से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि के बंटवारा हेतु सब-जज गुमला के न्यायालय में पार्टीशन सुट केस नं० 14/2002 दाखिल किया गया है। जिसमें विपक्षी रीक्षनाथ सिंह वगैरह हैं। उक्त वाद से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का बंटवारा कभी भी संबंधित पक्षों से नहीं हुआ है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि यदि रामू सिंह के द्वारा कोई दान संपत्ति देवी के पक्ष में किया गया तो वह Void है। निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विभिन्न क्रेताओं के दखल कब्जा और उसको चुनौती नहीं दिये जाने के कारण कागजी विवाद मानते हुए अंचल अधिकारी के आदेश को बहाल करते हुए अपील अस्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिभीजन वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी का पक्ष :-

उत्तरवादी द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने का कारण उनके पक्ष को नहीं सुना गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण वक्शोशनामा दस्तावेज संख्या 522/27.02.86 से संपत्ति देवी के नाम हो चुका है और उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरण किया जा चुका है तथ क्रेतागण खरीदगी जमीन को अपने नाम से नामान्तरण कराकर दखल कब्जा में है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए रिवीजन वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी दें।

03.10.22
उपायुक्त,
गुमला

लेखापित एवं संशोधित

03.10.22
उपायुक्त,
गुमला